

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
पुराना सचिवालय, पटना

आदेश

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों हेतु iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य प्रशिक्षण।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षमता संवर्द्धन एवं दक्षता उन्नयन के उद्देश्य से तथा भारत सरकार की “मिशन कर्मयोगी” पहल के अनुरूप यह निर्णय लिया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के सभी अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर चिन्हित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।

1. प्रयोज्यता:

यह आदेश बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों पर लागू होगा, जिसमें परिवीक्षाधीन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

2. पंजीकरण:

जिन अधिकारियों ने अभी तक iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने शासकीय ई-मेल/आधिकारिक विवरण के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

3. अनिवार्य पाठ्यक्रम:

अधिकारियों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे-

- (i) मिशन कर्मयोगी अंतर्गत आधारभूत (Foundational) पाठ्यक्रम;
- (ii) राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, विधि-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन एवं ई-गवर्नेंस से संबंधित क्षेत्रीय (Domain Specific) पाठ्यक्रम;
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य पाठ्यक्रम।

4. समय-सीमा:

- (i) कम से कम तीन पाठ्यक्रमों का संपादन मार्च 2026 तक किया जाएगा।
- (ii) इसके पश्चात प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 52 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. अनुपालन एवं अनुश्रवण:

- (i) संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
- (ii) जिला पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने को सुनिश्चित कराएंगे।
- (iii) पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों का विवरण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)/कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित की जाएगी तथा इसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।


6. अनुपालन नही करने की स्थिति:

निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूर्ण न करने की स्थिति में, बिना उचित कारण के, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है तथा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण अथवा अन्य कैरियर उन्नयन अवसरों में इसे विचाराधीन रखा जा सकता है।

7. नोडल पदाधिकारी:

मो० आफाक अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग को राज्य स्तर पर iGOT कर्मयोगी पोर्टल हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है, जो आवश्यक मार्गदर्शन एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे। तकनीकी सहयोग हेतु मो० अयाजुद्दीन (7070405888) प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को नामित किया जाता है।

एतद् सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।



(संजय कुमार)

सरकार के विशेष सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार

ज्ञापांक-18/ प्र०शि०-01-02/2026-4463 पटना, 15 दिनांक-6.3.26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सभी विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/मो० अयाजुद्दीन, प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-MAIL


6/3/26

सरकार के विशेष सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार